



## शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

31/62, राजपुर रोड,, देहरादून-248001

E mail -sbmurbaninfo@gmail.com, दूरभाष - 0135-2749541, फ़ैक्स. 0135.-2749542

पत्रांक:-3728/748/SBM/SWM/NGT/2019-20

देहरादून: दिनांक :- 08 जनवरी, 2021

सेवा में,

मा0 रजिस्ट्रार जनरल,  
मा0 एन0जी0टी0,  
नई दिल्ली।

**विषय:-** मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-144/2019, अरविन्द बनियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के अन्तर्गत निर्गत आदेश दिनांक 28-7-2020 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कन्सलटेंट (न्यायिक), मा0 एन0जी0टी0, प्रिसिपल बेंच द्वारा प्रेषित ई0मेल दिनांक 07-01-2021 तथा उक्त के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 28-7-2020 (संलग्नक-1), का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- सानुरोध अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 28-07-2020 के अन्तर्गत नगर निगम, कोटद्वार क्षेत्रान्तर्गत लीगैसी वेस्ट/पुराने डम्प साईट को निस्तारित किए जाने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के प्राविधानों के अनुसार अनुपालन कर अनुपालन आख्या प्रस्तुत किए जाने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार द्वारा अनुपालन आख्या दिनांक 07-01-2021 निदेशालय को प्रेषित की गयी है।

3- नगर निगम, कोटद्वार के द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में Compliance Report of Legacy Waste and Solid Waste Management in Kotdwar तैयार कर 07 संलग्नकों सहित मा0 एन0जी0टी0 की सेवा में प्रेषित है। इस सम्बन्ध में विभाग का पक्ष दिनांक 11-01-2021 को मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष रखे जाने हेतु श्री राहुल वर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया जा रहा है।

4- अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या व प्रगति विवरण मा0 एन0जी0टी0 की सेवा में प्रेषित है।

**संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

(विनोद कुमार सुमन)  
निदेशक।

**संख्या एवं दिनांक तदैव:-**

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- श्री राहुल वर्मा, अपर महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड शासन, नई दिल्ली को उपरोक्तानुसार समस्त संलग्नकों सहित इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
- 3- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव/सदस्य संयोजक, ई0एम0सी0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी।
- 6- मा0 महापौर, नगर निगम, कोटद्वार।
- 7- नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार को इस आशय से प्रेषित कि नगर निगम, कोटद्वार स्तर से अनुपालन आख्या निर्धारित तिथि दिनांक 11-01-2021 को मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

(विनोद कुमार सुमन)  
निदेशक।



## शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

31/62, राजपुर रोड,, देहरादून-248001

E mail -sbmurbaninfo@gmail.com, दूरभाष - 0135-2749541, फ़ैक्स. 0135.-2749542

पत्रांक:-3728/748/SBM/SWM/NGT/2019-20

देहरादून: दिनांक :- 08 जनवरी, 2021

सेवा में,

मा0 रजिस्ट्रार जनरल,  
मा0 एन0जी0टी0,  
नई दिल्ली।

विषय:-

मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-144/2019, अरविन्द बनियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के अन्तर्गत निर्गत आदेश दिनांक 28-7-2020 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कन्सलटेंट (न्यायिक), मा0 एन0जी0टी0, प्रिंसिपल बैच द्वारा प्रेषित ई0मेल दिनांक 07-01-2021 तथा उक्त के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 28-7-2020 (संलग्नक-1), का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- सानुरोध अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 28-07-2020 के अन्तर्गत नगर निगम, कोटद्वार क्षेत्रान्तर्गत लीगैसी वेस्ट/पुराने डम्प साईट को निस्तारित किए जाने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के प्राविधानों के अनुसार अनुपालन कर अनुपालन आख्या प्रस्तुत किए जाने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार द्वारा अनुपालन आख्या दिनांक 07-01-2021 निदेशालय को प्रेषित की गयी है।

3- नगर निगम, कोटद्वार के द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में Compliance Report of Legacy Waste and Solid Waste Management in Kotdwar तैयार कर 07 संलग्नकों सहित मा0 एन0जी0टी0 की सेवा में प्रेषित है। इस सम्बन्ध में विभाग का पक्ष दिनांक 11-01-2021 को मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष रखे जाने हेतु श्री राहुल वर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया जा रहा है।

4- अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या व प्रगति विवरण मा0 एन0जी0टी0 की सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विनोद कुमार सुमन)  
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- श्री राहुल वर्मा, अपर महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड शासन, नई दिल्ली को उपरोक्तानुसार समस्त संलग्नकों सहित इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
- 3- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव/सदस्य संयोजक, ई0एम0सी0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी।
- 6- मा0 महापौर, नगर निगम, कोटद्वार।
- 7- नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार को इस आशय से प्रेषित कि नगर निगम, कोटद्वार स्तर से अनुपालन आख्या निर्धारित तिथि दिनांक 11-01-2021 को मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

(विनोद कुमार सुमन)  
निदेशक।

Urban Development Department, Uttarakhand

Before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi


Original Application No. 144/ 2019 (Arvind Baniyal vs. State of Uttarakhand)

**As per Order Dt 28-7-2020 of Hon'ble NGT w.r.t. to Compliance Report of Legacy Waste and Solid Waste Management in Kotdwar, Uttarakhand**

Sr. No.	Subject	Compliance/ Status Report, Nagar Nigam, Kotdwar(Pauri)
1	<p>Legacy Waste: The issue for consideration is the remedial action against waste disposal dump yards illegally set up on the bank of River Khoh at Village Ratanpur, Kashirampur, Gadighat and near Sports Stadium, Kotdwar in Uttarakhand where garbage was being burnt and river water was polluted.</p>	<p><b>Progress for Removal of Legacy Waste in Kotdwar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- As immediate measure, Bio Remediation machine has been installed at the Legacy Waste site for segregation and disposal. Till date about 200 Metric Ton of legacy waste has been disposed.</li> <li>2- The capacity of above machine is about 30 Metric Ton per day.</li> <li>3- To expedite the process of disposal of legacy waste, another machine with additional capacity of Trommel of 60 Metric Ton per day has been installed. Therefore at present the installed capacity is about 90 Metric Ton per day.</li> <li>4- As per the report of Nagar Nigam, Kotdwar (Letter No. 1932/ Sva.Anu./ NGT/2020-21, Dt 7-1-2021)<b>Annexure-1</b>, to complete the work in less time and for increasing the rate of disposal of legacy waste, a separate proposal has been prepared and it has been submitted to State Pollution Control Board for the financial assistance of Rs. 50.00 Lacs.</li> </ol> <p><b>To Stop Burning of Old Waste:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- A separate water pressure pipe line of 1 inch and two water tanks of 5000 lts each has been installed to void burning of waste.</li> </ol>
2	<p>Status/ compliance of Solid Waste Management Rules 2016</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- In Kotdwar out of 40 wards, door to door collection is being done in all 40 wards.</li> <li>2- In 31 wards source segregation has been started.</li> <li>3- For scientific disposal of Solid Waste at decentralized level, making 4-5 wards in a group, land has been identified at Gram Gandariyakhali 0.097 Hect, Gram Ramdayalpur 0.239 Hect, Gram Uttarighandi Chor 0.227 Hect and 0.644 Hect and land has</li> </ol>

22/4/21  
SE. UDD

	<p>been transferred to Nagar Nigam, Kotdwar by District Magistrate, Pauri..</p> <p>8- For Integrated Solid Waste Management another land of area 02 Hect. has been identified in Mauza Jaydevpur, Khata No. 34, Category – 5(3)-Da/ Anya Agricultural Barren Land. Proposal is in process of approval at SIDCUL(State Industrial Development Corporation Ltd, Uttarakhand) and Government Level.</p> <p><b>Status of Integrated SWM DPR:</b></p> <p>1- DPR of Rs. 13.69 Cr prepared and approved by State Government on 29-10-2020</p> <p><b>Annexure-2.</b></p> <p>2- The above DPR was sent to Govt of India on 23-11-2020 <b>Annexure-3</b> for approval and financial assistance of Rs. 4.79 Cr as Central Share.</p> <p>3- Govt of India vide Letter Dt 2-12-2020, <b>Annexure-4</b>, has informed that it would not be possible to release funds as per the allocation of funds for SWM projects under Swachh Bharat Mission.</p> <p>4- As per orders of Hon'ble NGT Dt 28-7-2020, detailed directions were issued to all the ULBs by Urban Development Directorate Vide Letter No. 1578, Dt 19-8-2020 <b>Annexure-5</b> and separate direction were issued to Nagar Nigam, Kotdwar and Nagar Palika Parishad, Digadda Vide Letter Dt 27-11-2020 <b>Annexure-6</b>, Dt 2-11-2020 <b>Annexure-7</b>.</p>
--	---

  
SE.UDD.

## ॥ कार्यालय-नगर निगम कोटद्वार (पौडी गढवाल) ॥

पत्रांक- 1931 / स्वा0अनु0 / एन0जी0टी0 / 2020-21

दिनांक- 07.01.2021

सेवा में,

निदेशक,  
शहरी विकास निदेशालय  
31/62 राजपुर रोड  
देहरादून, उत्तराखण्ड

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या- 884/2019 श्री मनोज नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 09.10.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

विषय के आलोक में सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या- 884/2019 श्री मनोज नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 09.10.2020 के क्रम में अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है-

- 1- वर्तमान में लिगैसी वेस्ट के निस्तारण हेतु नगर निगम कोटद्वार द्वारा बायोरैमिडिएशन क्लीनिंग मशीन कय कर ट्रेचिंग ग्राउण्ड में स्थापित कर ली गयी है। जो कि प्रतिदिन लगभग 30 टन लिगैसी वेस्ट निस्तारित कर रही है। वर्तमान तक उक्त मशीन द्वारा लगभग 200 टन लिगैसी वेस्ट निस्तारित कर लिया गया है।
- 2- नगर निगम कोटद्वार द्वारा मैसर्स अमित लिंगवाल जीरोवेस्ट इन्कॉरपोरेशन 84- कैलाश गेट अपोजिट ओंकारानन्द पब्लिक स्कूल मुनिकीरेती ऋषिकेश के साथ वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में एकत्र लिगैसी वेस्ट के वैज्ञानिक विधि से निस्तारण हेतु ट्रॉमल मशीन (Trommel Machine) स्थापित करने हेतु दिनांक 19.10.2020 को पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में उक्त फर्म द्वारा वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में ट्रायल बेसिस पर ट्रॉमल मशीन (Trommel Machine) स्थापित कर ली गयी है। इस ट्रॉमल मशीन की प्रतिदिन लिगैसी वेस्ट निस्तारण क्षमता लगभग 60 मैट्रिक टन है। फलतः अपेक्षा की जाती है कि शीघ्र ही सम्पूर्ण लिगैसी वेस्ट का निस्तारण हो जायेगा।
- 3- नगर निगम कोटद्वार के वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड के लिगैसी वेस्ट के निस्तारण हेतु ट्रॉमल मशीन (Trommel Machine), कम्पेक्टर आदि उपकरणों को कय करने हेतु रू0- 50लाख की धनराशि प्रदान करने के सम्बन्ध में निदेशक, शहरी विकास निदेशालय देहरादून द्वारा दिनांक 22.12.2020 को सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त धनराशि प्राप्त होते ही तत्काल ट्रॉमल मशीन (Trommel Machine), कम्पेक्टर आदि उपकरण कय कर लिये जायेंगे। ताकि वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में स्थित लिगैसी वेस्ट का पूर्ण रूप से यथाशीघ्र निस्तारण किया जा सके। तत्सम्बन्धित पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक- 01)

श्री

- 4- इसके अतिरिक्त वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में स्थित लिगैसी वेस्ट के पूर्ण रूप से निस्तारित न होने तक सुरक्षा की दृष्टि से आग से बचाव हेतु एक इंची पानी की प्रेशर पाईप लाइन तथा 5000-5000 लीटर क्षमता के दो टैंक स्थापित कर लिये गये हैं। इस प्रकार उक्त लिगैसी वेस्ट आग आदि से पूर्ण रूप से सुरक्षित है।
- 5- पूर्व में नगर निगम कोटद्वार द्वारा ट्रेचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु कंचनपुरी हल्दूखाता में 0.998 है० भूमि लैन्सडौन वनप्रभाग से नगर निगम कोटद्वार को हस्तान्तरित करने सम्बन्धी प्रस्ताव वर्तमान में भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून से ऑनलाइन कतिपय Queries के निस्तारण हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के स्तर पर लम्बित है। तत्सम्बन्धित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।  
(संलग्नक- 02)
- 6- नगर निगम कोटद्वार द्वारा वर्तमान में जनरेट हो रहे अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निस्तारण हेतु तैयार की गयी डी०पी०आर० उत्तराखण्ड शासन की राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त भारत सरकार को धन आवंटन हेतु पत्र संख्या- 3162/167/SBM-UC/SUDA/2016-17 दिनांक 23.11.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गयी है। तत्सम्बन्धित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।  
(संलग्नक- 03)
- 7- नगर निगम कोटद्वार द्वारा वर्तमान में उत्पन्न हो रहे अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से कलस्टर स्तर पर निस्तारण हेतु कलस्टर (4-5 वार्डों का समूह) स्तरीय छोटे ट्रेचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु ग्राम गन्दरियाखाल पट्टी हल्दूखाता तहसील कोटद्वार के खाता संख्या- 56 के खसरा संख्या- 66 रक्वा 0.097 है० भूमि, ग्राम रामदयालपुर पट्टी हल्दूखाता तहसील कोटद्वार के खाता संख्या- 32 खसरा संख्या- 91 रक्वा 0.239 है० भूमि, ग्राम उत्तरी झण्डीचौड पट्टी हल्दूखाता तहसील कोटद्वार के खाता संख्या- 144 खसरा संख्या- 137 रक्वा 0.227 है० भूमि तथा ग्राम उत्तरी झण्डीचौड पट्टी हल्दूखाता तहसील कोटद्वार के खाता संख्या- 118 खसरा संख्या- 03 रक्वा 0.081 है० कुल 0.644 है० भूमि जिलाधिकारी महोदय, गढवाल पौड़ी गढवाल के आदेश संख्या क्रमशः- 120/8-एल०ए०सी०/ 2019-20 दिनांक पौड़ी अक्टूबर 19, 2020, 121/8-एल०ए०सी०/2019-20 दिनांक पौड़ी अक्टूबर 19, 2020, 122/8-एल०ए०सी०/2019-20 दिनांक पौड़ी अक्टूबर 19, 2020 तथा 123/8-एल०ए०सी०/2019-20 दिनांक पौड़ी अक्टूबर 19, 2020 के द्वारा नगर निगम कोटद्वार के नाम हस्तान्तरित की गयी है। जिस पर नगर निगम द्वारा शीघ्र ही अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यावाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। जिलाधिकारी महोदय, गढवाल पौड़ी गढवाल के उक्त भूमि के हस्तान्तरण सम्बन्धी आदेशों की छायाप्रतियाँ संलग्न है।  
(संलग्नक-04, 05, 06, 07)।
- 8- नगर निगम द्वारा वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में दुर्गन्ध को समाप्त करने हेतु नियमित रूप से चूना तथा ब्लीचिंग का छिडकाव किया जा रहा है।



- 9- उक्त के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र सिगड्डी से लगी मौजा जयदेवपुर के खाता संख्या- 34 की श्रेणी- 5(3)-ड/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि रक्वा 02 है। नगर निगम कोटद्वार को लीज अथवा हस्तान्तरित करने सम्बन्धी प्रस्ताव महाप्रबन्धक, सिडकुल, उत्तराखण्ड देहरादून के स्तर पर अभी भी लम्बित है। तत्सम्बन्धित पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक- 08)

अतः अनुपालन आख्या उक्तानुसार सादर सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(पी०एल० शाह)  
नगर आयुक्त  
नगर निगम कोटद्वार

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1- सचिव, शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड।

2- आयुक्त महोदय, गढवाल मण्डल।

3- जिलाधिकारी महोदय, गढवाल, पौड़ी गढवाल।

4- श्री राहुल वर्मा, स्थाई अधिवक्ता मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

शह

नगर आयुक्त  
नगर निगम कोटद्वार

07/01/2024

आज प्राप्त  
दिनांक 18.11.2020  
प्राप्तकर्ता  
शहरी विकास निदेशालय  
उत्तराखण्ड, देहरादून

"स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)" के क्रियान्वयन एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 अपराह्न 2.15 बजे का कार्यवृत्त :-

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री शैलेश बगौली, सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्रीमती नेहा वर्मा, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री भूपेश चन्द्र तिवारी, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री डी0पी0आर0 जोशी, अपर निदेशक, स्वजल परियोजना।
5. श्री रवि पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. श्री रवि शंकर बिष्ट, राज्य मिशन मैनेजर, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

सर्वप्रथम बैठक में सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा मुख्य सचिव एवं राज्य उच्च स्तरीय समिति के अन्य सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया तथा एजेण्डावार बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

एजेण्डा संख्या 01- विगत बैठक दिनांक 28.07.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

- 1- समिति को अवगत कराया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु पूर्व में स्वीकृत 68 निकायों की समस्त 53 डी0पी0आर0 भारत सरकार द्वारा भी स्वीकृत कर दी गयी हैं तथा धनराशि राज्य को अन्तरित की जा चुकी है।
- 2- समिति को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त निकायों एवं छावनी परिषदों के कुल 1190 वार्डों के सापेक्ष 1190 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा 926 वार्डों में सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुल उत्पादित कूड़े (1639 MTPD) के सापेक्ष 926 MTPD कूड़े का प्रसंस्करण भी निकायों द्वारा किया जा रहा है।

समिति द्वारा उक्त पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी तथा निर्देशित किया गया कि डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण एवं सोर्स सेग्रीगेशन से वार्ड स्तर पर प्रत्येक घर एवं दुकान को आच्छादित किया जाये।

(कार्यवाही- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून)

एजेण्डा संख्या 02- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत निर्मित DPR पर अनुमोदन।

- 1- समिति को अवगत कराया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु तैयार 22 नगर निकायों की 09 डी0पी0आर0 का **Technical Appraisal Committee** से अनुमोदन कराया जा चुका है तथा समिति द्वारा बताये गये सुझाव समिलित करते हुए डी0पी0आर0 को निदेशालय के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा अंतिम कर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के दिशा-निर्देशानुसार राज्य उच्च स्तरीय समिति से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा उक्त 22 निकायों की 09 डी0पी0आर0 पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी तथा

.....2

(2)

समिति द्वारा उक्त 22 नगर निकायों की 09 डी0पी0आर0 पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के उपरान्त निम्न प्रकार अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जनसंख्या	Waste Generation (MTPD)	DPR मूल्य	(घनराशि रू0 लाख में)	
					SBM, GoI द्वारा देय घनराशि	4 <sup>th</sup> SFC/ ULB से देय घनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	ऋषिकेश क्लस्टर (ऋषिकेश, डोईवाला, मुनिकीरेती, स्वर्गाश्रम जॉक, नरेन्द्रनगर)	235564	99.58	3324.19	1163.47	2160.72
2	कोटद्वार	135600	47.00	1369.95	479.48	890.47
3	पुरोला	7931	2.90	161.90	56.67	105.23
4	बागेश्वर	28910	8.93	300.72	105.25	195.47
5	काशीपुर क्लस्टर (काशीपुर, जसपुर, महुआडाबरा)	233668	84.77	1429.89	500.46	929.43
6	पीपलकोटी	3521	1.33	143.37	50.18	93.19
7	बेरीनाग	7641	2.80	141.48	49.52	91.96
8	दिनेशपुर, गुलरभोज	18300	8.93	395.46	138.41	257.05
9	रुड़की क्लस्टर (रुड़की, झबरेड़ा, मंगलोर, लण्ढौरा, भगवानपुर, पीरान कलियर, लक्सर)	304418	225.36	4627.41	1619.59	3007.82
कुल योग		975553	481.60	11894.37	4163.03	7731.34

(कार्यवाही -निदेशक, शहरी विकास निदेशालय)

एजेण्डा संख्या 03- टिहरी-चम्बा क्लस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की संशोधित डी0पी0आर0 पर अनुमोदन।

समिति को अवगत कराया गया कि टिहरी-चम्बा क्लस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की डी0पी0आर0 संशोधित की गयी है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी की राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07 मई, 2019 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-939/IV(3)/2019-68 (सा0) 2014, दिनांक 13 मई, 2019 के द्वारा टिहरी-चम्बा क्लस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की रू0 669.71 लाख की डी0पी0आर0 स्वीकृत किये जाने संबंधी पत्र निर्गत किया गया। तदोपरान्त राज्य उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07 मई, 2019 के एजेण्डा संख्या- 2 में टिहरी चम्बा कलस्टर के विवरण को उत्तराखण्ड शासन के

.....3

(3)

पत्र संख्या-1168/IV(3)/2019-68 (सा0) 14, दिनांक 10 जून, 2019 के द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया गया है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	जनसंख्या	Waste Generation (MTPD)	DPR मूल्य	SBM, GoI द्वारा देय धनराशि	SFC से देय धनराशि
4	टिहरी-चम्बा क्लस्टर	34471	09	582.94	204.03	378.91

- उत्तराखण्ड शासन स्तर पर गठित व्यय वित्त समिति (EFC) द्वारा टिहरी-चम्बा क्लस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत रू0 582.94 लाख में से रू0 9.70 लाख की कटौती उपरान्त रू0 573.24 लाख की डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु संस्तुत की गयी है। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1168, दिनांक 10 जून, 2019 द्वारा टिहरी-चम्बा क्लस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन रू0 573.24 लाख की डी0पी0आर0 स्वीकृत की गयी है।
- उक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त टिहरी-चम्बा क्लस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की रू0 573.24 लाख की संशोधित डी0पी0आर0 पर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना हेतु संस्तुत कुल लागत रू0 573.24 लाख के अनुसार ही केन्द्रांश की द्वितीय किस्त जारी/निर्गत करते समय देय अतिरिक्त केन्द्रांश की धनराशि समायोजित किये जाने का अनुरोध भारत सरकार से किया जायेगा।

(कार्यवाही - निदेशक, शहरी विकास निदेशालय)

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित मानकानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन संबंधी कार्य दिसम्बर, 2020 तक सभी निकायों द्वारा प्रारम्भ कर दिये जाये। उक्त के साथ ही उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

  
(श्रीश बगौली)  
सचिव।  
ok


.....4

(4)

उत्तराखण्ड शासन  
शहरी विकास अनुभाग-3  
संख्या-1384/IV(3)/2020-68(सा0)14  
देहरादून: 09 नवम्बर, 2020।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. संयुक्त सचिव/राष्ट्रीय मिशन पर्यवेक्षक, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. निजी सचिव-मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सदस्य सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(अनिल जोशी)  
उप सचिव।  
ok



# शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

31/62, राजपुर रोड, देहरादून-248001

E mail -sbmurbaninfo@gmail.com दूरभाष - 0135-2742885, फ़ैक्स. 0135.-2742885

पत्रांक:- 3162/167/SBM-UC/SUDA/2016-17

देहरादून: दिनांक :- 23-11-2020

सेवा में,

संयुक्त सचिव एवं राष्ट्रीय मिशन निदेशक,  
स्वच्छ भारत मिशन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,  
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय :- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 22 निकायों के 09 नवीन प्रस्तावों (Fresh Proposals of SWM WiC Plants) हेतु केन्द्रांश धनराशि (first Installment) उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 के कार्यवृत्त संख्या 1384/IV(3)/2020-68(सा0)14, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें (प्रति संलग्न)। जिसके एजेण्डा संख्या 02 पर 22 निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 09 डी0पी0आर0 (Waste to Compost) पर Technical Appraisal उपरांत राज्य स्तरीय समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया है। 09 डी0पी0आर0 का विवरण निम्न तालिकानुसार प्रस्तुत है :-

(रु० लाख में)


क्र. सं.	परियोजना का नाम	जनसंख्या	Waste Generation (MTPD)	DPR मूल्य	SBM, Gol द्वारा देय धनराशि	4 <sup>th</sup> SFC/ ULB से देय धनराशि
1	ऋषिकेश क्लस्टर (ऋषिकेश, डोईवाला, मुनिकीरेती, स्वर्गाश्रम जॉक, नरेन्द्रनगर)	235564	99.58	3324.19	1163.47	2160.72
2	कोटद्वार	135600	47.00	1369.95	479.48	890.47
3	पुरोला	7931	2.90	161.90	56.67	105.23
4	बागेश्वर	28910	8.93	300.72	105.25	195.47
5	काशीपुर क्लस्टर (काशीपुर, जसपुर, महुआडाबरा)	233668	84.77	1429.89	500.46	929.43
6	पीपलकोटी	3521	1.33	143.37	50.18	93.19
7	बेरीनाग	7641	2.80	141.48	49.52	91.96
8	दिनेशपुर, गुलरमोज	18300	8.93	395.46	138.41	257.05
9	रुड़की क्लस्टर (रुड़की, झबरेड़ा, मंगलौर, लण्ढौरा, भगवानपुर, पीरान कलियर, लक्सर)	304418	225.36	4627.41	1619.59	3007.82
	कुल योग	975553	481.60	11894.37	4163.03	7731.34

*(Handwritten signature)*

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तालिकानुसार स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में उक्त 09 नवीन प्रस्तावों (Fresh Proposals of SWM WtC Plants) हेतु कुल ₹0 4163.03 लाख (रूपये इकतालीस करोड़ तिरसठ लाख तीन हजार मात्र) की प्रथम किश्त (first Installment) राज्य को अवमुक्त करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय




(विनोद कुमार सुमन)

o/c निदेशक/मिशन निदेशक, SBM

संख्या एवं दिनांक:-तदैव।

प्रतिलिपि:- सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



o/c निदेशक/मिशन निदेशक, SBM

sfar  
smm

No.1/18/2015-SBM  
Govt. of India  
Ministry of Housing and Urban Affairs

Nirman Bhawan, New Delhi

Dated 02.12.2020

To

The Mission Director (SBM)  
Urban Development Directorate,  
Govt. of Uttarakhand,  
43/6, Mata Mandir Marg  
Dharmapur, Dehradun  
Uttarakhand  
[ravi\\_bisht80@yahoo.com](mailto:ravi_bisht80@yahoo.com), [sbmurbaninfo@gmail.com](mailto:sbmurbaninfo@gmail.com)

Subject: Request for release of Rs. 20.81515 Crore as 1<sup>st</sup> installment for fresh 09 SWM Projects - Reg.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 3162/167/SBM-UC/SUDA/2016-17 dated 23.11.20 on the subject quoted above.

2. In this regard, it is submitted that the request of the State Govt has been examined and it is observed that against the Central Allocation (for the entire Mission Period) of Rs. 57.57 Crores, an amount of Rs. 29.7028 crores have already been released so far under SWM component of SBM-U to Uttarakhand as detailed under:

S.N.	Date	Amount	Type of Instalment	Details of Project
1	31-03-2015	50000000	Complete	11 SWM Projects
2	23-08-2018	25518000	First	11 SWM Projects (Dehradun, Haridwar, Almora, Jaspur, Karanprayag, Joshimath, Gaucher, Uttarkashi, Mini-ki-reti, Purola, and Pokhri)
3	18-06-2019	21192000	First	2 SWM Projects (for procuring Mechanery in 6 cities and Projects in Badkot, Devprayag, Kirtinagar, Pauri and Mahuakhedaganj ULBs)
4	19-09-2019	32681000	First	4 SWM Projects (Pithauragarh, Sitarganj, Badrinath and Tehri-Chamba clusters)
5	30-09-2019	33831000	Complete	2 SWM Projects (Srinagar and Nowgaon)
6	03-02-2020	27133300	First	3 SWM projects (Ramnagar, Nanakmatta and Piran Kaliyar Near Haridwar)
7	24-06-2020	4238000	First	03 SWM projects of Thrali, Tilwada, Dugadadda
8	11-08-2020	15876000	Second	06 SWM projects of Chamoli Gopeshwar, Agastmuni, Joshimath, Gauchar, Kapkot and Almora. Ist installment was released on 23.08.18 for these projects
9	20-10-2020	86558700	First	17 SWM projects of Nand Prayag, Ranikhet, Chilyanaula, Gangolihaat, Badahaat, Uttarkashi, Gangotri, Gadarpur, Cluster, Gairsain, Ukhimath, Bhikyasena, Champawat, Didihat, Satpuli, Dharchula, Gaja, Lambgaon, Tanakpur-Banbasa, Chinyalisaudah and Khatima
	<b>TOTAL</b>	<b>297028000</b>		

Contd...

(2)

3. As can be seen from the above table, an amount of Rs.19.7321 crore was released as 1<sup>st</sup> Installment (as mentioned at Sl No.2,3,4,6,7&9) against which there is a Committed Liability to release 2<sup>nd</sup> Installment of Rs.19.7321 crore for completion of these ongoing projects. Keeping in view of the fact that Rs.29.7020 crore has been released till date under SWM component, balance fund of Rs.8.1359 crore are only available for release to the State as detailed under:

(Amount in Rs. Crore)

Mission Allocation	Funds released under SWM	Committed liability to be released as 2 <sup>nd</sup> Inst	Balance Fund available
57.5700	29.7020	19.7321	8.1359

4. In view of the above, it would not be feasible for the Ministry to release the Central Share of funds of Rs.20.81515 Crore (50% of Rs.41.6303 Crore) as 1<sup>st</sup> Instalment for the 9 SWM Projects of different ULBs. Therefore, the State Govt. is requested to reconsider their proposal and revise it to the extent that the total Central Share of such projects shall not exceed Rs.8.1359 crores.

5. However, if the State is willing to forego the demand for 2<sup>nd</sup> installment (Committed Liability of Rs. 19.7321 crore) in respect of any of the projects as mentioned at Sl No.2,3,4,6,7 & 9 of the table in Para (2) above, the Ministry may be apprised accordingly after an approval of SHPC is also obtained in this regard.

Yours faithfully



(Shakti Shamsher)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel: 011-23062565

(Email: [s.shamsher@gov.in](mailto:s.shamsher@gov.in))



## शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

31/62, राजपुर रोड,, देहरादून-248001

E mail -sbmurbaninfo@gmail.com, दूरभाष - 0135-2749541, फैक्स 0135-2749542

पत्रांक:-<sup>1578</sup>...../748/SBM/SWM/NGT/2019-20

देहरादून: दिनांक :-<sup>19</sup>.....अगस्त, 2020

सेवा में,

1- नगर आयुक्त,  
नगर निगम, कोटद्वार।

2- अधिशासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद, दुगड़डा।

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-144/2019, अरविन्द बनियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के अन्तर्गत निर्गत आदेश दिनांक 28-7-2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 28-7-2020, (संलग्नक-1), जो कि श्री राहुल वर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय के ई-मेल दिनांक 31-7-2020 (संलग्नक-2) के साथ संलग्न होकर प्राप्त हुई है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के साथ मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 नं0-884/2019, श्री मनोज नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 22-11-2019 (संलग्नक-3) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में निदेशालय के पत्रांक-4444/765/एस0बी0एम0/एन0जी0टी0 /884 वर्ष 2019/2019-20, दिनांक 28-12-2019 (संलग्नक-4) तथा पत्रांक: 1531/765/एस0बी0एम0/एन0जी0टी0 /884 वर्ष 2019/2019-20, दिनांक 17-08-2020 (संलग्नक-5) के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दुगड़डा मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दिनांक 22-11-2019 (संलग्नक-3) के प्रस्तर-2 के क्रम में तत्काल बिन्दुवार प्रगति आख्या पत्र प्राप्त के 03 दिन के अन्दर शहरी विकास निदेशालय को ई-मेल (sbmurbaninfo@gmail.com and directorudd@gmail.com) के माध्यम से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

3- मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दिनांक 28-7-2020 (संलग्नक-1) के क्रम में प्रस्तरवार निम्नानुसार आदेश निर्गत किये गये हैं तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुसार अनुपालन हेतु आदेशित किया गया है:-

3.1 प्रस्तर-1 खोह नदी ग्राम-रतनपुर, काशीरामपुरा, गाड़ीघाट तथा स्पोर्ट्स स्टेडियम कोटद्वार के निकट असंवैधानिक वेस्ट डम्प साइट को हटाये जाने तथा ठोस अपशिष्ट को जलाये जाने तथा नदी के पानी को प्रदूषण से रोकने हेतु अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में कूड़े को जलाने से रोकने हेतु नगर निगम, कोटद्वार द्वारा कितने चालान किये गये हैं तथा उक्त वेस्ट डम्प साइट को हटाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है, रिपोर्ट प्रेषित करने का कष्ट करें।

3.2 प्रस्तर-2 मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में दिनांक 18-3-2020 मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत हुआ। मा0 उच्चतम न्यायालय से स्थानान्तरित होकर मा0 एन0जी0टी0 के संदर्भ के क्रम में निम्नानुसार निर्देशित किया गया:-

3.2.1 प्रस्तर-13 लीगैसी वेस्ट के निस्तारण की मॉनिटरिंग कौंसिल, उसकी लोकेशन, मात्रा तथा आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर अत्यधिक है। साथ ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट के सम्बन्ध में नियमों के अनुसार अनुपालन की भी बड़ी कौंसिल है। पर्यावरण को हानि तथा जन-सामान्य के स्वास्थ्य की हानि, लीगैसी वेस्ट को हटाने तथा प्रतिदिन के अपशिष्ट सृजन के सापेक्ष पूर्ण मात्रा का प्रसंस्करण होने में विलम्ब के कारण होती है। इस प्रकार

लीगैसी वेस्ट को हटाये जाने तथा टोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के नियमों के अनुपालन में विलम्ब के कारण होने वाली हानि की कॉस्ट जिम्मेदार व्यक्ति से वसूली जानी चाहिए।

3.2.2 प्रस्तर-14, उक्त के क्रम में अब सार्थक कार्यवाही त्वरिता से की जानी चाहिए। उक्त प्रश्नगत स्थलों पर स्थित लीगैसी वेस्ट का मात्राकरण निर्धारित किया जाय तथा उसे निर्धारित नियमानुसार निस्तारित करने की कार्यवाही की जाय। कूड़े को जलाया जाना तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाय। उपरोक्तानुसार अनुपालन कर आगामी सुनवाई की तिथि से पूर्व ई-मेल के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 को उपलब्ध करायी जाय। ऐसा न होने की दशा में ट्रिब्यूनल के पास अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। अनुपालन न होने पर कारागार के साथ सम्बन्धित अवज्ञा किये गये अधिकारियों के वेतन रोके जाने सम्बन्धी आदेश मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्गत किये गये।

4- उक्त प्रकरण में निदेशालय स्तर से एक रिपोर्ट पत्रांक-110/748/एस0बी0एम0/एस0डब्ल्यू0एम0/एन जी0टी0 /2019-20, दिनांक 21-5-2020 (संलग्नक-6) मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जिसकी प्रति शासन व आपको भी पृष्ठांकित की गयी थी।

5- मा0 एन0जी0टी0 द्वारा यह पाया गया है कि निर्धारित नियमों/टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार प्रगति पर्याप्त नहीं है। पर्यावरण को क्षति निरन्तर पहुंचायी जा रही है, जोकि क्रिमिनल ऑफेंस है। लॉ एण्ड ऑर्डर की भांति ही जन-सामान्य के जीवन व स्वास्थ्य की सुरक्षा किया जाना राज्य का दायित्व है।

6- मा0 एन0जी0टी0 द्वारा स्थगन आदेश इस निर्देश के साथ निर्गत किया गया है कि अब यदि क्रमिक प्रगति नहीं होती है तो राज्य को डेमेज का भुगतान करना होगा तथा असफलता हेतु सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

7- आगामी सुनवाई की तिथि दिनांक 11-1-2021 के पूर्व प्रगति रिपोर्ट सर्चबल पी0डी0एफ0/ओ0सी0आर0 सपोर्ट पी0डी0एफ0 के रूप में जमा करायी जानी होगी।

8- अवगत कराना है कि टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-606/2018 के अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 2-7-2020, 07-1-2020 के क्रम में विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशालय के पत्रांक-887/609/एस0बी0एम0/आर0एम0सी0 /2018-19, दिनांक 09-7-2020 (संलग्नक-7), पत्रांक-1112/609/एस0बी0एम0/आर0एम0सी0 /2018-19, दिनांक 17-7-2020 (संलग्नक-8), पत्रांक-1208/609/एस0बी0एम0/ आर0एम0सी0 /2018-19, दिनांक 23-7-2020 (संलग्नक-9)के द्वारा प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों को निर्गत किये गये हैं। मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दिनांक 02-7-2020 के अन्तर्गत भी टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 का अनुपालन न होने की दशा में वित्तीय दण्ड का प्राविधान है।

9- मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0-168/2019, श्री रमेश चन्द्र कापड़ी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य (जोकि टोस अपशिष्ट प्रबन्धन, नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ से सम्बन्धित है) के अन्तर्गत भी मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 29-6-2020 के क्रम में प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों को नियमानुसार अनुपालन हेतु पत्रांक: 780/772/उस0डब्ल्यू0एम0/ एन0जी0टी0/ 168 वर्ष 2019/2019, दिनांक: 4.7.2020 (संलग्नक-10) द्वारा भी आदेश निर्गत किये गये हैं।

10- लीगैसी वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में नगर निगम, ऋषिकेश का विस्तृत प्रस्ताव सभी सम्बन्धित नियमों की प्रति सहित शासन की सेवा में निदेशालय के पत्रांक-760/743 /एस0बी0एम0 /एस0डब्ल्यू0एम0/ ली0वे0/2019-20, दिनांक 30-7-2020 (संलग्नक-11) के द्वारा प्रेषित की गयी, जिसकी प्रति भी प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन व नियमों सहित प्रेषित की गयी।

11- लीगैसी वेस्ट, हरिद्वार के सम्बन्ध में प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु एक विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशालय के पत्रांक-703/743 /एस0बी0एम0/एस0डब्ल्यू0एम0/ली0वे0/2019-20, दिनांक 30-6-2020 (संलग्नक-12)के द्वारा नगर निगम, हरिद्वार को सम्बोधित तथा शेष 07 नगर निगमों व 13 गंगा नगरों/स्थानीय निकायों को पृष्ठांकित कर प्रेषित किये गये हैं।

12- अतः उक्त से स्पष्ट है कि मा0 एन0जी0टी0 के स्तर से टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुसार अनुपालन हेतु कई निर्देश मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्गत किये गये हैं, जिसके क्रम में निदेशालय स्तर से भी निरन्तर निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं। मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0


संख्या-884/2019 श्री मनोज नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अन्तर्गत मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 22-11-2019 के द्वारा समयान्तर्गत अनुपालन न होने के कारण पूर्व अवमानना नोटिस के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्रांक-1531/765/एस०बी०एम०/एन०जी०टी०/884, वर्ष 2019/2019-20, दिनांक 17-8-2020 (संलग्नक-5) के द्वारा भी अनुपालन हेतु आदेशित किया गया है। उक्त प्रकरण भी टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के अनुसार अनुपालन न होने के क्रम में नगर निगम, कोटद्वार तथा नगर पालिका परिषद, दुगड्डा को आदेश दिनांक 22-11-2019 द्वारा आदेशित किया गया है।

12- अतः उक्त के क्रम में प्रकरण की गम्भीरता, संवेदनशीलता तथा पर्यावरण क्षति से सीधे सम्बन्धित होने के क्रम में मा० एन०जी०टी० के उक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रगति आख्या (स्थानीय निकाय के प्रत्येक वार्ड से घर-घर से कूड़े का उठान, घर-घर से जैविक व अजैविक पृथक्कीकृत अपशिष्ट का उठान, वार्ड वार प्रत्येक आवासीय /अनावासीय/दुकानों /संस्थानों से कुल संख्या के सापेक्ष कूड़े का पृथक्कीकृत उठान, प्लास्टिक व रिसाइकिलेबल को पृथक् कर विक्रय, जैविक कूड़े से कम्पोस्ट बनाया जाना, लीगैसी वेस्ट का निस्तारण कर भूमि रिक्त किया जाना, अपशिष्ट निस्तारण हेतु स्थल/भूमि की अधिप्राप्ति, डी०पी०आर० की स्वीकृति व उसका क्रियान्वयन आदि /टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 का अनुपालन) तथा कनस्ट्रक्शन एवं डिमोलेशन अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुसार स्थल का चयन व अनुपालन प्रत्येक पक्ष में दिनांक 01 से 03 तथा 15 से 18 के मध्य निदेशालय ई-मेल sbmurbaninfo@gmail.com and directorudd@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही एवं दण्डात्मक निर्देश हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दुगड्डा उत्तरदायी होंगे।

कृपया उक्त को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

मवदीय,



(विनोद कुमार सुमन)

निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया शासन स्तर से भी नगर निगम, कोटद्वार, नगर पालिका परिषद, दुगड्डा तथा प्रदेश के अन्य स्थानीय निकायों को मा० एन०जी०टी० के आदेशों के क्रम में कड़े निर्देश निर्गत किये जाने का कष्ट करें।
- 2- मा० महापौर, नगर निगम, कोटद्वार तथा अन्य समस्त मा० महापौर, नगर निगम, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अनुपालन किये जाने हेतु प्रकरण को मासिक समीक्षा बैठक में सम्मिलित करते हुए प्रगति का अनुश्रवण किये जाने का कष्ट करें।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, पेयजल निगम, उत्तराखण्ड/ मुख्य महा प्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तराखण्ड को उक्त प्रस्तर 3.3.1 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 5- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तराखण्ड को उक्त पत्र समस्त संलग्नकों सहित इस अनुरोध से प्रेषित कि मा० एन०जी०टी० के आदेशों के क्रम में टोस अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, सी० एण्ड डी० अपशिष्ट प्रबन्धन, लीगैसी वेस्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में प्राथमिकता पर नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाहियां किये जाने का कष्ट करें।
- 6- समस्त मा० अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड को मा० एन०जी०टी० के उक्त आदेशों के क्रम में इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया प्राथमिकता पर अनुपालन किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(विनोद कुमार सुमन)

निदेशक।

संख्या-884/2019 श्री मनोज नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अन्तर्गत मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 22-11-2019 के द्वारा समयान्तर्गत अनुपालन न होने के कारण पूर्व अवमानना नोटिस के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्रांक-1531/765/एस०बी०एम०/एन०जी०टी०/884, वर्ष 2019/2019-20, दिनांक 17-8-2020 (संलग्नक-5) के द्वारा भी अनुपालन हेतु आदेशित किया गया है। उक्त प्रकरण भी टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के अनुसार अनुपालन न होने के क्रम में नगर निगम, कोटद्वार तथा नगर पालिका परिषद, दुगड्डा को आदेश दिनांक 22-11-2019 द्वारा आदेशित किया गया है।

12- अतः उक्त के क्रम में प्रकरण की गम्भीरता, संवेदनशीलता तथा पर्यावरण क्षति से सीधे सम्बन्धित होने के क्रम में मा० एन०जी०टी० के उक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रगति आख्या (स्थानीय निकाय के प्रत्येक वार्ड से घर-घर से कूड़े का उठान, घर-घर से जैविक व अजैविक पृथक्कीकृत अपशिष्ट का उठान, वार्ड वार प्रत्येक आवासीय /अनावासीय/दुकानों /संस्थानों से कुल संख्या के सापेक्ष कूड़े का पृथक्कीकृत उठान, प्लास्टिक व रिसाइकिलेबल को पृथक् कर विक्रय, जैविक कूड़े से कम्पोस्ट बनाया जाना, लीगैसी वेस्ट का निस्तारण कर भूमि रिक्त किया जाना, अपशिष्ट निस्तारण हेतु स्थल/भूमि की अधिप्राप्ति, डी०पी०आर० की स्वीकृति व उसका क्रियान्वयन आदि /टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 का अनुपालन) तथा कनस्ट्रक्शन एवं डिमोलेशन अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुसार स्थल का चयन व अनुपालन प्रत्येक पक्ष में दिनांक 01 से 03 तथा 15 से 18 के मध्य निदेशालय ई-मेल sbmurbaninfo@gmail.com and directorudd@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही एवं दण्डात्मक निर्देश हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दुगड्डा उत्तरदायी होंगे।

कृपया उक्त को शीघ्र प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विनोद कुमार सुमन)  
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया शासन स्तर से भी नगर निगम, कोटद्वार, नगर पालिका परिषद, दुगड्डा तथा प्रदेश के अन्य स्थानीय निकायों को मा० एन०जी०टी० के आदेशों के क्रम में कड़े निर्देश निर्गत किये जाने का कष्ट करें।
- 2- मा० महापौर, नगर निगम, कोटद्वार तथा अन्य समस्त मा० महापौर, नगर निगम, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अनुपालन किये जाने हेतु प्रकरण को मासिक समीक्षा बैठक में सम्मिलित करते हुए प्रगति का अनुश्रवण किये जाने का कष्ट करें।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, पेयजल निगम, उत्तराखण्ड/ मुख्य महा प्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तराखण्ड को उक्त प्रस्तर 3.3.1 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 5- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तराखण्ड को उक्त पत्र समस्त संलग्नकों सहित इस अनुरोध से प्रेषित कि मा० एन०जी०टी० के आदेशों के क्रम में टोस अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, सी० एण्ड डी० अपशिष्ट प्रबन्धन, लीगैसी वेस्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में प्राथमिकता पर नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाहियां किये जाने का कष्ट करें।
- 6- समस्त मा० अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड को मा० एन०जी०टी० के उक्त आदेशों के क्रम में इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया प्राथमिकता पर अनुपालन किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(विनोद कुमार सुमन)  
निदेशक।

I/3012/2021



Email/Speed Post/By Hand

## शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

31/62, राजपुर रोड, देहरादून-248001

E mail –sbmurbaninfo@gmail.com दूरभाष – 0135-2742885, फ़ैक्स. 0135.-2742885

अति महत्वपूर्णअनुस्मारक – 1

सेवा में,

- |  |  |
|--|--|
| 1 नगर आयुक्त,<br>नगर निगम, कोटद्वार<br>पौड़ी – गढ़वाल, उत्तराखण्ड। | 2 अधिशासी अधिकारी,<br>नगर पालिका परिषद, दुगड्डा<br>पौड़ी – गढ़वाल, उत्तराखण्ड। |
|--|--|

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-884/2019 (श्री मनोज नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य) प्रकरण में दिनांक – 09 अक्टूबर 2020 को दिए गए आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन नगर निगम कोटद्वार के स्तर पर सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 के नवीनतम आदेश (दिनांक-09.10.2020) का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से नगर निगम कोटद्वार की ओर से मा0 एन0जी0टी0 में प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या से गहरी अप्रसन्नता तथा नाराजगी व्यक्त करते हुए अगली सुनवाई (प्रस्तावित दिनांक-18.01.2021) से पूर्व शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2- उक्त के अनुपालन के क्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम – 2016 के नियम-22 का अनुपालन सुनिश्चित करवाए जाने हेतु पूर्व में भी (20 नवम्बर 2020 से पूर्व) पत्र संख्या – I/2162/2020 दिनांक – 11-09-2020 (संलग्नक – 1) के माध्यम से निर्देशित किया जा चुका है।

इस पत्र के माध्यम से अपेक्षा की गई थी कि निकायांतर्गत समस्त मकानों तथा दुकानों की कुल संख्या के आधार पर डोर-टू-डोर कुड़ा उठान तथा जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट को सोर्स पर ही अलग-अलग कराए जाने के लक्ष्यों को 100 प्रतिशत प्राप्त किए जाने हेतु 20 नवम्बर 2020 तक व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। साथ ही खो नदी के तट पर चूनाधारा क्षेत्र में बताई गई लिंगेसी अपशिष्ट की साईट पर मौजूद अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर ली जाए।

3- इसके अतिरिक्त शहरी विकास अनुभाग -3 के पत्र संख्या – 793, दिनांक – 10.08.2020 के क्रम में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या – 1531, दिनांक – 17.08.2020 तथा इससे पूर्व शासन के पत्र संख्या – 2605, दिनांक – 05 दिसम्बर 2019 के क्रम में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या – 4444, दिनांक – 28 दिसम्बर 2019 के माध्यम से भी इस वाद में दिए गए मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक- 22.11.2019 के अनुपालन हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

4- प्रकरण की संवेदनशीलता तथा महत्व के दृष्टिगत अपेक्षा है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा होगा। शासन की ओर से भी इस विषय पर बार-बार पूछा जा रहा है। अतः उपरोक्तानुसार वर्तमान तक की गई प्रगति तथा आगे की कार्ययोजना (उक्त प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष दिनांक 18 जनवरी 2021 से पूर्व पक्ष रखा जाने की समयसीमा के दृष्टिगत) का विवरण निदेशालय को भी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

I/3012/2021

5— उक्त प्रकरण में अनुपालन ना किए जाने की स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 स्तर से किसी भी प्रकार की प्रतिकूल अथवा दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने की स्थिति में नगर निगम कोटद्वार व नगर पालिका परिषद दुगड्डा स्वयं उत्तरदायी होंगे। अतः प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किए जाने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार पूर्णतया अनुपालन किए जाने का कष्ट करें।

Digitally signed by ASHOK  
KUMAR PANDEY

Date: Fri Nov 27 17:21:29 IST  
2020 (अशोक कुमार पाण्डेय)

अपर निदेशक  
Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक—तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, पौड़ी—गढ़वाल।
3. मा0 महापौर, नगर निगम, कोटद्वार।

(अशोक कुमार पाण्डेय)  
अपर निदेशक

I/2162/2020



Email/Speed Post/By Hand

## शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

31/62, राजपुर रोड, देहरादून-248001

E mail –sbmurbaninfo@gmail.com दूरभाष – 0135-2742885, फ़ैक्स. 0135.-2742885

सेवा में,

- |   |  |
|---|--|
| 1 नगरायुक्त,<br>नगर निगम, कोटद्वार<br>पौड़ी – गढ़वाल, उत्तराखण्ड। | 2 अधिशासी अधिकारी,<br>नगर पालिका परिषद, दुगड्डा<br>पौड़ी – गढ़वाल, उत्तराखण्ड। |
|---|--|

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-884/2019 (श्री मनोज नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य) प्रकरण में दिनांक – 09 अक्टूबर 2020 को दिए गए आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन नगर निगम कोटद्वार के स्तर पर सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 के नवीनतम आदेश (दिनांक-09.10.2020) का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से नगर निगम कोटद्वार की ओर से मा0 एन0जी0टी0 में प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या से गहरी अप्रसन्नता तथा नाराजगी व्यक्त करते हुए अगली सुनवाई (प्रस्तावित दिनांक-18.01.2021) से पूर्व शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम – 2016 के नियम-22 का अनुपालन सुनिश्चित करवाए जाने हेतु कार्यवाहियां संपादित किया जाना।

- आगामी एक माह (20 नवम्बर 2020 से पूर्व) वार्डों के आधार पर तथा निकायांतर्गत कुल मकानों तथा दुकानों की कुल संख्या के आधार पर डोर-टू-डोर कुड़ा उठान तथा जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट को सोर्स पर ही अलग-अलग कराए जाने के लक्ष्यों को 100 प्रतिशत प्राप्त किए जाने हेतु व्यवस्था किया जाना।
- उपरोक्तानुसार पृथक किए गए जैविक अपशिष्ट से कम्पोस्ट बनाए जाने हेतु निकाय अंतर्गत पार्को, सरकारी कालोनियों में अथवा जहां भी कम्पोस्ट पिट बनाने हेतु भूमि उपलब्ध हो वहां कम्पोस्ट बनाया जाए। इसके साथ ही समस्त प्रकार के रिसायकलेवल को दैनिक आधार पर (लॉगबुक में टेन कर) पृथक कर अधिकृत रिसायकलर्स को विक्रय किया जाए।
- डोर-टू-डोर कुड़ा उठान तथा जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट को सोर्स पर ही अलग-अलग कराए जाने, जैविक अपशिष्ट से कम्पोस्ट बनाने की प्रक्रिया, रिसायकलेवल के विक्रय तथा कम्पोस्ट विक्रय किए जाने को ठीक प्रकार से डाक्युमेंट अवश्य करवाया जाए।
- खो नदी के तट पर चूनाधारा क्षेत्र में बताई गई लिगेसी अपशिष्ट की साईट पर मौजूद अपशिष्ट के निस्तारण हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।
- अपशिष्ट को जलाए जाने पर तत्काल प्रभाव से सख्त प्रतिबंध अमल में लाया जाए। और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध चालान की कार्यवाही कर नियमानुसार जुर्माना वसूला जाए। तथा आगामी प्रगति आख्या में इसे रिपोर्ट भी करें, क्योंकि मा0 एन0जी0टी0 के वर्तमान आदेश, दिनांक – 09.10.2020 के पृष्ठ संख्या – 04 के प्रस्तर संख्या – 04 में भी अपशिष्ट को जलाए जाने तथा वन भूमि पर अतिक्रमण रोके जाने के संबंध

I/2162/2020

में आदेशित किया गया है।

- उपरोक्त के अनुपालन से संबंधित दिशा-निर्देश आपको पूर्व में भी मा० एन०जी०टी० द्वारा वाद संख्या 606/2018 के संदर्भ में दिनांक 02 जुलाई 2020 के क्रम में पारित आदेशों के अनुपाल के संबंध में इस कार्यालय से प्रेषित पत्रांक संख्या –887/609/स्व०भा०मि०/आर०एम०सी०/2018 – 19 दिनांक – 09 जुलाई 2020, तथा पत्रांक संख्या – 1578/748/ठो०अ०प्र०/एन०जी०टी०/2019–20, दिनांक – 19 अगस्त 2020 के माध्यम से एवं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या – 86, दिनांक – 23 जुलाई 2019, पत्र संख्या 1531/765/SBM/NGT/884 of 2019/2019–20 दिनांक 17–08–2020 के द्वारा तथा पत्र संख्या 4444/765/SBM/NGT/884 of 2019/2019–20 दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 के माध्यम से मा० न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–2019 के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम कोटद्वार को पूर्व में निर्देशित किया गया है।
- नगर निगम कोटद्वार की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन डी०पी०आर० (लागत–13.69 करोड़) की स्वीकृति, टी०ए०सी० (Technical Approval Commitee) तथा शहरी विकास विभाग स्तर से निर्गत की जा चुकी हैं। उक्त डी०पी०आर० की स्वीकृति एस०एच०पी०सी० (State High Powered Committee) से कराए जाने की कार्यवाही गतिमान है। प्रकरण के मा० एन०जी०टी० में संदर्भित होने के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार 14वें वित्त, 15वें वित्त, राज्य वित्त आयोग एवं/या बोर्ड फण्ड का उपयोग करते हुए प्राथमिकता के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन डी०पी०आर० का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- नगर निगम कोटद्वार द्वारा चिन्हित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों हेतु भूमि अधिप्राप्त कराए जाने के संबंध में निदेशालय स्तर से पत्रांक संख्या – 1613, दिनांक – 22.08.2020 के माध्यम से सचिव शहरी विकास विभाग से अनुरोध किया गया है। तदक्रम में आपके स्तर से भूमि अधिप्राप्ति हेतु शीर्ष प्राथमिकता पर कार्यवाही कर भूमि अधिप्राप्त की जानी है।

इसके अतिरिक्त आपके सादर संज्ञान में लाना है कि मा० एन०जी०टी०, प्रिसिंपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 02–07–2020 के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन से संबंधित विभिन्न कार्यवाहियां पूर्व निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पूर्ण न किए जाने पर पर्यावरण संरक्षण ऐक्ट 1986 के अनुसार विधिक प्राधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जानी निर्धारित की गयी है। मा० एन०जी०टी० के उक्त आदेश दिनांक 02–07–2020 के पृष्ठ–3 पर प्रस्तर–41(a) के अन्तर्गत निम्नानुसार आदेशित किया गया है:–

*In view of the fact that most of the statutory timelines have expired and directions of the Hon'ble Supreme Court and this Tribunal to comply with Solid Waste Management Rules, 2016 remain unexecuted, **interim compensation scale is hereby laid down for continued failure after 31.03.2020. The compliance of the Rules requires taking of several steps mentioned in Rule 22 from Serial No. 1 to 10(mentioned in para 12 above). Any such continued failure will result in liability of every Local Body to pay compensation at the rate of Rs. 10 lakh per month per Local Body for population of above 10 lakhs, Rs. 5 lakh per month per Local Body for population between 5 lakhs and 10 lakhs and Rs.1 lakh per month per other Local Body from 01.04.2020 till compliance. If the Local Bodies are unable to bear financial burden, the liability will be of the State Governments with liberty to take remedial action against the***

I/2162/2020

**erring Local Bodies. Apart from compensation, adverse entries must be made in the ACRs of the CEO of the said Local Bodies and other senior functionaries in Department of Urban Development etc. who are responsible for compliance of order of this Tribunal. Final compensation may be assessed and recovered by the State PCBs/PCCs in the light of Para 33 above within six months from today. CPCB may prepare a template and issue an appropriate direction to the State PCBs/PCCs for undertaking such an assessment in the light thereof within one month.**

मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश में निर्धारित दण्ड से बचने के लिए आवश्यक है कि निकायों के पास ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु भूमि उपलब्ध हो।

उक्त प्रकरण के अंतर्गत मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक – 09.10.2020 का अनुपालन कर अनुपालन आख्या दिनांक 18 जनवरी 2021 से पूर्व मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत की जानी है। अतः प्रकरण की संवेदनशीलता व गंभीरता के दृष्टिगत 31 दिसम्बर 2020 तक निदेशालय एवं शहरी विकास विभाग को कृत कार्यवाही की बिन्दुवार आख्या उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

उक्त प्रकरण में अनुपालन ना किए जाने की स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 स्तर से किसी भी प्रकार की प्रतिकूल अथवा दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने की स्थिति में नगर निगम कोटद्वार व नगर पालिका परिषद दुगड्डा स्वयं उत्तरदायी होंगे। अतः प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किए जाने का कष्ट करें।

Digitally signed by ASHOK  
KUMAR PANDEY  
Date: Mon Nov 02 12:09:10 IST  
2020  
Reason: Approved  
(अशोक कुमार पाण्डेय)  
अपर निदेशक

संख्या एवं दिनांक—तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. - सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, को सादर सूचनार्थ।
2. - प्रबंध निदेशक, सिडकुल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय के पत्र संख्या – 1223, दिनांक 24 जुलाई 2020 के क्रम में नगर निगम कोटद्वार को चिन्हित सिडकुल भूमि स्थानांतरित किए जाने हेतु संबंधित को दिशा—निर्देशित करने का कष्ट करें। ताकि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियां संचालित की जा सकें।
3. - जिलाधिकारी पौड़ी – गढ़वाल, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उपरोक्त संदर्भित विषयगत मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक – 09 अक्टूबर 2020 को पारित आदेश का अनुपालन किए जाने तथा आगामी सुनवाई में किसी प्रतिकूल आदेश से बचने हेतु प्रकरण का अनुश्रवण अपने स्तर से भी किए जाने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार पाण्डेय)  
अपर निदेशक